

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2362 / 2011 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, वृत्त-डी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बालाजी एन्टरप्राइजेज,
मसुरिया, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 06.05.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-द्वितीय, वृत्त-डी जोधपुर (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स-प्रथम), जोधपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 02.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो अपील संख्या 04/आरवेट/जेयूडी/2010-11 के संबंध में हैं तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 24, 25 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2010 के जरिये अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति रु.2,21,356/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि से संबंधित दस्तावेजों की जांच पर यह पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में बिक्रीत उत्पाद इलैक्ट्रिक मोटर कर देयता अधिनियम की अनुसूची-IV के अनुसार 5 प्रतिशत मानकर, उक्त के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर, राजकोष में जमा करवाया गया, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत उत्पाद इलैक्ट्रिक मोटर को अतिरिक्त आयुक्त (विधि) वाणिज्यिक कर, जयपुर धारा अधिनियम की धारा 36 के तहत पारित आदेश दिनांक 26.07.2008 के आलोक में, उक्त को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित किया। अतः अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा

प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि की विवादित बिक्री पर अन्तर कर, ब्याज व शास्ति आरोपण हेतु अधिनियम की 61 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसे अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार किया जाकर, बिक्रीत इलैक्ट्रिक मोटर को 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज व अधिनियम की धारा 61 के तहत कर अपवंचन के अपराध में कर की दोगुना शास्ति आरोपित कर, निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम अंतर कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों को यथावत रख, अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यक्ति होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलीय आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उक्त विवादित शास्ति के बिन्दु पर पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी।
5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पत्रावली पर रखी जा रही है।
7. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की हैं जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। चूंकि हस्तगत अपील में कर दर का बिन्दु विवादित है एवम् इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित

विधि अनुसार माननीय न्यायालयों द्वारा समान परिस्थितियों में, विक्य संव्यवहारों के बहीयात में दर्ज होने तथा कर दर विवादित होने की दशा में, शास्ति आरोपण को विधि सम्मत होना नहीं माना गया है।

- (i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, स्पेशल सर्किल, पाली बनाम् मैसर्स सोजत लाईम कम्पनी, 74 एस.टी.सी.288 (राज.)
- (ii) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स बारां कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. 93 एस.टी.सी. 239 (राज.)
- (iii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मैसर्स कुमावत उद्योग 97 एस.टी.सी. 238 (राज.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर बनाम् मैसर्स एल.एन.टी. कोमात्सू लि. उदयपुर, सैल्स टैक्स रिवीजन पिटीशन क्रमांक 226 / 2009 से 229 / 2009 निर्णय दिनांक 29.03.2010 (राज.)
- (v) मैसर्स लार्ड वैंकटेश्वरा कैटरर्स बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर 19 टैक्स अपडेट 85(राज.) ग
- (vi) मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम् स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य (2009) 23 वी.एस.टी. 249 (सु.को.)
- (vii) सहायक आयुक्त, उदयपुर बनाम मैसर्स कॉटेज इण्डस्ट्रीज एक्सपोजिशन लि. (2008) 22 टैक्स अपडेट 289 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (viii) मैसर्स हयूलेट पेकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि. बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-25 टैक्स अपडेट 189[आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (ix) मैसर्स साधवानी ट्रेडर्स, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन द्वितीय, जयपुर-7 टैक्स अपडेट 43 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]
- (x) मैसर्स रेबेनसन ऑप्टीक्स लि. भिवाड़ी बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भिवाड़ी, अपील क्रमांक 1437 / 2009 से 1439 / 2009 / अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011. [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
- (xi) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन राजस्थान वृत्त-तृतीय, जयपुर


— 4 — अपील संख्या 2362 / 2011 / जोधपुर

बनाम् मैसर्स रेकिट बेन्काईजर इण्डिया लिमिटेड, बी-139, रोड़ नम्बर-12, वी.के.आई.ए., जयपुर अपील क्रमांक 2070 से 2073/2010/जयपुर, 1305 से 1308/2010/जयपुर निर्णय दिनांक 15.09.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)] ।
(xii) मैसर्स परफेटी वानमेले इण्डिया प्रा.लि., जयपुर बनाम् वा.क.अ. एन्टीइवेजन, जोन-तृतीय, जयपुर अपील क्रमांक 332 से 335/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 19.07.2011 [आर.टी.बी. (डी.बी.)]

अतः उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई विधिक औचित्य नहीं है। लिहाजा, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

8. परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

9. निर्णय सुनाया गया।


(मदन लाल)
सदस्य